संख्या-1/ 2022 /199/ 36-4-2022-24(बी0)/2018 टी0सी0

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

श्रमायुक्त,
उ0प्र0 कानपुर।

श्रम अनुभाग-4 लखनऊ- दिनांक- 04 मार्च, 2022

विषय-अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रू0 270.00 करोड़ के सापेक्ष प्रत्येक मण्डल में उक्त विद्यालय (कुल 18) हेतु तृतीय किस्त के रूप में प्रत्येक विद्यालय के निर्माण हेतु रू0 15.00 करोड़ कुल रू0 270.00 करोड़ (रूपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रू0 270.00 करोड़ के सापेक्ष प्रत्येक मण्डल में उक्त विद्यालय (कुल 18) हेतु तृतीय किस्त के रूप में प्रत्येक विद्यालय के निर्माण हेतु रू0 15.00 करोड़ (रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) कुल रू0 270.00 करोड़ (रूपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है–

1-	स्वीकृत की जा रही धनराशि लोक निर्माण विभाग (कार्यदायी संस्था) के डिपाजिट खाते में रखी जायेगी।
2-	धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके न्यूनतम तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
3-	स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-03-2021 एवं निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति संबंधी अन्य शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4-	स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही कार्यों/मदों में किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
5-	कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता आदि विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6-	आकड़ो की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7-	विभाग द्वारा यथा समय व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	जायेगा।
8-	इस संबंध में शासनादेश संख्या-9/2021/578/36-4-2021-24(बी0)/2018 टी0सी0 दिनांक 23-03-2021 एवं शासनादेश संख्या-2003/36-4-2021-45(बी0)/2018दिनांक 24-12-2021 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।
9-	इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक-4202-01-202-03 अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।
10-	यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-6-3461-दस-2021-22 दिनांक 02-03-2022 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सुरेश चन्द्रा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1/2022/199(1) /36-4-2022-24(बी0)/2018 टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- समस्त जिलाधिकारी (द्वारा श्रमायुक्त), उ0प्र0 कानपुर।

3- प्रमुख अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

4- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।

5- समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, (द्वारा श्रमायुक्त), उ0प्र0 कानपुर।

6- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।

9- संबंधित कोषाधिकारी द्वारा श्रमायुक्त, उ0प्र0 कानपुर।

10-निदेशक वित्त एवं साख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

11-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चिरौंजी लाल)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।